

‘Maoists call urban mass organisations weapons ... battle is for control of civil society through subversion’

Smita Gaikwad

In popular perception, Maoists mainly operate in districts with a large tribal population. **Smita Gaikwad**, a former army officer who is now a research scholar with Mumbai-based thinktank Forum for Integrated National Security (FINS), disagrees in a conversation with Sugandha Indulkar

Why do you believe urban centres are the next big battlefield?

This is a reality with concrete evidence. Maoists reside in urban areas. In fact, youth from urban/ semi-urban areas had started Maoist movement in India. Maoism cannot survive without urban leadership and logistical support. In November 2013, MHA (home ministry) filed an affidavit in Supreme Court acknowledging that “the ‘frontal’ organisations of CPI (Maoist), operating under the pretext of human rights NGOs, have kept the Maoist movement alive and are more dangerous than armed cadres.” CPI (ML) People’s War and MCCI (Maoist Communist Centre of India) merged into a single party, the CPI (Maoist), on September 21, 2004.

After this merger they drafted five basic strategy documents for CPI (Maoist) party. One document includes: ‘Urban perspective: Our work in urban areas’. In this document you will find their urban plan discussed in an elaborate manner. Similarly, in their document titled: ‘Strategy and tactics of Indian revolution’, they mention that their party, which comprises armed cadre, and united front of mass organisations in urban areas are their ‘weapons’. It is important to note that they describe urban mass organisations as ‘weapons’ to overthrow democracy.

How do we combat Maoists without undermining people who are genuine and only want constitutional rights enforced?

The only way to combat urban Maoists is through legal action. As security agencies generally have concrete inputs, identifying and isolating the urban Maoist cadre from genuine democratic social activists and taking necessary legal actions is possible. The case of convicted Maoist prof GN Saibaba is the best example. They do not believe in constitutional democracy. They then tie up with a lot of terror outfits, pose a threat to life and freedom of many people across the nation. They indulge in a lot of criminal activities as well.

Maoists strategically penetrate existing NGOs, human rights organisations and other social or political organisations and steer these organisations to align with their Maoist agenda. Similarly, apart from their secret organisations, they also float various organisations which fit in the democratic framework and work to implement Maoist strategies.

Is Maoism in tribal areas only a symptom of governance weaknesses?

The socio-economic situation or governance weakness in tribal areas made the work of Maoists easy in the 1970s and 80s. Maoism hasn't sprung from governance weaknesses alone, it is a bigger problem. CPI (Maoist) is a banned terrorist organisation.

If we refer to statistics from START (Study of Terrorism and Responses to Terrorism) and South Asian terrorism portal, CPI (Maoist) has figured in top five terrorist groups globally for many years. They have been exploiting weakness of the government to further their cause of overthrowing democracy. Their aim is 'political power through the barrel of the gun' and not through electoral process. Experts say that it is a classical model of fourth generation warfare (4GW) – where the enemy is invisible, and the battle is for the control of civil society through subversion.

Do you believe that foreign nations help Maoists?

I do not have any evidence to prove this. But when we interviewed a surrendered Maoist in Bastar – who was involved in the Sukma blast where nine CRPF jawans were killed – we came to know that after that operation they had received calls from different countries. This shows they do have international links.

Will killing tribal Maoists while allowing urban Maoists to go on with their activities help?

Tribals have been used as cannon fodder by Maoist leadership. They hardly have representation in the central committee. During encounters, tribal foot soldiers are pushed in front while higher Maoist leadership stays away from encounter sites. Higher Maoist leadership is also responsible for a large number of tribal killings.

Maoism survives and thrives on three weapons that they mention in their party documents: Leadership from intellectual class in urban areas, armed cadre in forests and united fronts of mass organisations. Out of these three weapons, two come from urban areas. It is as necessary to stop Maoist urban activities as those in forests.

How is it to be done?

The first and most important thing is that society should accept that a problem of urban Maoism exists. Second, proper investigations in cases of urban Maoists can help in improving the conviction rate of judicial cases of urban Maoism. Third, Maoists are penetrating organisations working for special sections of the society such as Dalits, women, minorities, tribals, et al. Maoists prey upon the vulnerability of such people. Focussed efforts in solving problems of these sections can prevent that from happening.

Date:02-05-18

Justices lash out

The Rip Van Winkle metaphor speaks to state institutions with an uncaring attitude

Editorial

The Indian system is often long on legislation and litigation and short on justice. The Supreme Court's dismay over Union government engaging in frivolous litigation by repeatedly filing appeals on already settled identical questions of law puts the onus on the executive to reform. "When will the Rip Van Winkleism stop and Union of India wake up to its duties and responsibilities to the justice delivery systems?" Justices Lokur and Gupta asked, recalling the carefree fictional character who slept 20 years only to wake up to a changed world, while highlighting government's failure to finalise a National Litigation Policy and reduce pendency of cases.

Only lawyers on either side seem to be benefiting. The court was piqued that the Centre engaged as many as 10 lawyers to fight redundant matters, a case of 'non-application of mind' as courts like to put it. A 2016 study had found that high court judges could devote just 5-6 minutes on average to decide a case if they were to hear all the matters listed daily. The tearing hurry can have an impact on quality of justice dispensed while leaving hapless litigants shortchanged. Last year, the Union law ministry noted that 46% of 3.2 crore pending cases were filed by central or state governments.

India's ease of business ranking is stymied by long pendency of cases. While government calls on judiciary to reform, the judgment said the "boot is really on the other leg". However, this will be contested as judges too contribute to inconclusive litigation. Judges cannot evade blame for entertaining matters better dealt with by executive like the highway liquor ban, or patently frivolous PILs, or indulgence towards petitioners seeking interim relief in matters progressing in lower courts, or Delhi's relentless sealing drive.

While it may be counterproductive and even dangerous to restrict private litigants from filing appeals, government needs to be circumspect on persevering with bad cases after unfavourable verdicts. Ideally, SC and HCs being constitutional courts should have more time to focus on constitutional cases. The US model of evolving a "national court of appeal" was mooted and should be followed up. Meanwhile, government must expedite judicial appointments and fill vacancies. 20% of sanctioned posts in SC and 38% in HCs are lying vacant. The judiciary's angst over government's twin failures as a responsible litigant and appointing authority deserves to be heeded.

THE ECONOMIC TIMES*Date: 02-05-18*

Waiting for labour reforms and Godot

Editorial

The government reportedly has a blueprint for labour reforms and wants to swiftly implement worker-friendly laws. A commitment to workers' welfare is welcome. It includes codes on minimum wages, social security, occupational safety, health and working conditions, besides providing for easier rules for employers to hire and fire workers. Apparently, the government wants to put on hold laws that are perceived to go against the interest of workers. Even the ruling party's trade unions will oppose such reforms and their implementation would be fraught in an election year.

Political circumstances will allow the rollout of holistic labour reforms only after the general elections, which are a year away. Labour must be aligned with the dynamics of growth in a globalised economy.

Indeed, it should protect workers, but should also give more flexibility to employers to adjust to market needs. For example, the wages Bill — that seeks to empower the Centre to set a minimum wage across sectors that states will need to abide by — will raise salaries of workers in the unorganised sector. A rise in their incomes will make them significant consumers and drive domestic demand.

Similarly, the draft code on occupational safety seeks to rid the workplace of hazards and ensure workers' well-being. This will help raise productivity. The long dither over reforming industrial relations must end. Companies need more leeway than what they have at present to hire and dispense with labour. The laws for flexible hiring and retrenchment should factor in a mandatory social security net. The larger point is for workers to adjust to the industrial structure and practices to match the dynamics of growth. Aligning their interests with those of the company should be the goal.



Date: 02-05-18

दैनिक भास्कर

ट्विटर के डेटा का मोलभाव और निजता का सवाल

संपादकीय



फेसबुक के बाद अब ट्विटर के डेटा की सौदेबाजी ने एक बार फिर लोगों की निजता के उल्लंघन और सार्वजनिक बहस व जनमत को अनुचित तरीके से प्रभावित करने का विवाद उठा दिया है। माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधार्थी अलेक्सांद्र कोगन को एक दिन के लिए अपना डेटा देखने की छूट दी थी। इस दौरान उन्होंने दिसंबर 2014 से अप्रैल 2015 तक ट्विटर पर उपलब्ध पांच माह के डेटा को एक साथ हासिल करके उनका मनोवैज्ञानिक जीवन वृत्त बनाया और उससे ऐसा उपकरण बनाया,

जिसने कैम्ब्रिज एनालिटिका को राजनीतिक प्रचार में मदद की। हालांकि, इस समाचार का ट्विटर ने खंडन किया है और उसका मानना है कि हैकिंग जैसा कुछ नहीं हुआ है। इसके बावजूद कंपनी इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि उसने कोगन की कंपनी जीएसआर को एक दिन के लिए डेटा बेचा।

कंपनी का दावा है कि डेटा सार्वजनिक हैं और उसे कोई भी देख सकता है। लेकिन, कंपनी जब भी थोक में किसी को डेटा उपलब्ध कराती है तो उसके लिए सौदा करती है और इस मामले में ऐसा हुआ है। कानून की अनुपस्थिति के कारण यह मामला नैतिकता और अनैतिकता के बीच फंसकर रह गया है। सवाल यह है कि अगर डेटा सही हैं और उनका कोई सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? गलत इसलिए है कि क्योंकि उन डेटा का इस्तेमाल करके चुनाव में कन्सल्टेंसी करने वाली कंपनियां सार्वजनिक बहस को मनमानी दिशा देती हैं, सार्वजनिक संस्थाओं को प्रभावहीन करती हैं।

सबसे बड़ा अपराध तो झूठी खबरों और जानकारीयों का परोसा जाना है और वह काम डेटा माइनिंग के माध्यम से ही हो रहा है। ब्रेजिट और अमेरिकी चुनाव में हुई धांधली तो हमारे सामने है ही और इसीलिए अपनी करतूतों के लिए माफी मांगते हुए मार्क ज़करबर्ग ने भारत, ब्राजील और दुनिया के अन्य देशों के लिए फिल्टर लगाने की बात की है। फेसबुक के मुकाबले ट्विटर दुनिया के विशिष्ट लोग प्रयोग करते हैं इसलिए उसके 8.7 करोड़ लोगों का डेटा फेसबुक के 2.2 अरब लोगों के मुकाबले कम लग सकता है पर विशिष्ट लोगों के जुड़े होने के कारण ट्विटर का प्रभाव और प्रामाणिकता ज्यादा है। चिंता की बात यह है कि यूरोपीय संघ तो 25 मई से सामान्य डेटा संरक्षण नियमावली लागू करने जा रहा है, लेकिन भारत जैसे देश अभी भी उन कंपनियों के भरोसे बैठे हैं।

Date: 02-05-18



दैनिक जागरण

कानून को कठोर बनाना ही पर्याप्त नहीं, जांच में शुरू से सतर्कता के साथ तत्परता बरती जाए

शिरीष इनामदार, (लेखक महाराष्ट्र पुलिस में अपर उपायुक्त रहे हैं)

सरकार ने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए क्रिमिनल लॉ(अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2018 को मंजूरी दी है। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यह कानून लागू होने के बाद दुष्कर्म के मामलों में सात वर्ष की न्यूनतम सजा बढ़कर दस वर्ष एवं 16 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म की न्यूनतम सजा 20 साल हो जाएगी। इसके अलावा कई और सख्त प्रावधान भी इस कानून में किए गए हैं। इनसे दुष्कर्म के आरोपितों को उचित दंड एवं पीड़िता को न्याय दिलाने में सहूलियत मिल सकेगी, लेकिन कानून को कठोर करने के साथ कुछ और भी करने की जरूरत है। वास्तव में किसी भी बड़े हादसे के बाद सामाजिक एवं राजनीतिक दबाव बढ़ता है। इसी दबाव के कारण सरकार पहले भी प्रचलित कानूनों में बदलाव कर चुकी है। इस बार भी कठुआ, सूरत एवं उन्नाव के मामलों के बाद सरकार ने कानून में बदलाव कर उसे अधिकाधिक कठोर बनाने की पहल की।

पूर्व प्रचलित कानून में ये बदलाव जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों की कर्तव्यपूर्ति का आभास अधिक दिलाते हैं। पुलिस विभाग इन्हें अमल में लाने का आश्वासन देता है। न्यायिक संस्थाएं इन बदलावों के अक्षर तो जान जाती हैं, लेकिन उन अक्षरों की आत्मा को समझ नहीं पातीं। इसके कारण बदलाव असरहीन साबित होते हैं और हर नया हादसा एक नए बदलाव की राह तकने लगता है। अतीत में अनेक बदलावों के बाद बने ऐसे कानून देखने में तो पर्याप्त कठोर लगते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद दुष्कर्म की घटनाओं में कमी आती नहीं दिखती। ये कानून अपराधियों के मन में पर्याप्त डर पैदा करने में असमर्थ साबित हुए हैं। पर्याप्त एवं सक्षम कानून होने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने की जरूरत है। दरअसल कानून की कठोरता बढ़ाने से भी अधिक जरूरी है, जांच एवं न्याय प्रक्रिया को

प्रभावी बनाना। इनकी कमजोरी दुष्कर्म के मामलों को लंबा खींचती है। इसके कारण आरोपित व्यक्ति को सुबूतों से छेड़छाड़ करने का अवसर मिलता है और अधिसंख्य पीड़ित महिलाएं न्याय से वंचित रह जाती हैं।

विलंब से मिलने वाला न्याय एक तरह से अन्याय के बराबर होता है। इससे समाज में कानून का डर कम होता है और न्यायपालिका की तरफ से मिलने वाले संदेश का असर भी कम हो जाता है। दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता को त्वरित न्याय मिलने से न सिर्फ पीड़िता और उसका परिवार न्याय पाने का अनुभव करेगा, बल्कि उस न्याय का संदेश भी दूर तक जाएगा और अपराधी ऐसे अपराध करने से डरेंगे। दुष्कर्म के मामलों में त्वरित न्याय तब संभव है जब जांच प्रक्रिया में शुरू से सावधानी बरती जाए। आज ज्यादातर राज्यों के पुलिस बल कामचलाऊ प्रशिक्षण के भरोसे काम करने को मजबूर हैं। बतौर उदाहरण महाराष्ट्र में पुलिस बल का जो प्रशिक्षण कुछ दशक पहले तक दो वर्ष का हुआ करता था, अब उसकी अवधि घटाकर नौ माह कर दी गई है। कमोबेश अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति है। इतनी कम अवधि के प्रशिक्षण में किसी आपराधिक घटना की जांच करने वाले सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण दे पाना तो कतई संभव नहीं हो सकता, जबकि दुष्कर्म के मामलों में फॉरेंसिक एवं डीएनए जांच जैसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का बड़ा महत्व होता है। जांच टीम की जरा सी असावधानी या विलंब अच्छे-खासे सुबूत नष्ट कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप पीड़िता को न्याय मिलना दुष्कर हो सकता है।

दुष्कर्म के मामलों में जांच को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तर्ज पर प्रत्येक राज्य में कम से कम मंडल स्तर पर एक-एक ऐसी जांच टीम का गठन अवश्य किया जाना चाहिए, जो वैज्ञानिक, तकनीकी एवं कानूनी जांच में दक्ष हो। उसे डीएनए एवं फॉरेंसिक सुबूत इकट्ठा करने का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। घटना के कुछ घंटों के अंदर ही यह टीम घटनास्थल पर अथवा दुष्कर्म पीड़िता के पास पहुंचने में सक्षम हो। घटनास्थल तक इस टीम के पहुंचने से पहले स्थानीय पुलिस सुबूतों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने के बजाय उन्हें सिर्फ संभालकर रखने की जिम्मेदारी निभाए। इस टीम में महिला एवं बाल मनोविज्ञान में प्रशिक्षित संवेदनशील व्यवहार वाली महिला पुलिसकर्मी भी होनी चाहिए। पीड़िता की संवेदनाओं को समझते हुए उसका बयान दर्ज करते समय उसके मानवाधिकार और आत्मसम्मान का खयाल रखना भी आवश्यक है।

अक्सर देखा जाता है कि दुष्कर्म, खासकर नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने में या तो कोताही बरती जाती है या किसी न किसी बहाने देरी की जाती है। परिणामस्वरूप जांच प्रक्रिया के पहले ही पायदान पर पूरा मामला कमजोर पड़ जाता है। कई बार परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसके चलते आरोपित को जमानत मिल जाती है या फिर मुकदमे के दौरान साक्ष्य के अभाव में बरी होने का लाभ मिल जाता है। चूंकि पुरुषप्रधान मनोवृत्ति अक्सर पुलिस विभाग में भी दिखाई देती है इसलिए दुष्कर्म के मामलों की जांच में लगे पुलिसकर्मियों का संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। निःसंदेह यह भी जरूरी है कि डीएनए परीक्षण समय रहते किया जाए। यह सब करके ही परिवर्तित कानून का इस्तेमाल करते हुए दुष्कर्म के मामलों को एक निश्चित अवधि में फैसले तक पहुंचाया जा सकता है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आखिर दुष्कर्म की वारदातें इतनी बढ़ क्यों रही हैं? इसका जवाब आज के समाज में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। विकृत मनोवृत्ति जगाने वाले मनोरंजन के साधन, हर तरह की लालसा को बढ़ावा देने वाली भोगवृत्ति और प्रगति के नाम पर इसी भोगवृत्ति को जीवन का सही तरीका मानने का चलन भी इस घिनौने अपराध की एक जड़ है।

सोशल मीडिया के जरिये प्रसारित अश्लील सामग्री किसी अभिशाप से कम नहीं। मानव में एक किस्म की पाशविक वृत्ति हमेशा रही है। सामाजिक मूल्यों का आधार मजबूत हो तो इस वृत्ति पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में सामाजिक मूल्यों के क्षरण से संस्कृति को क्षति पहुंच रही है। पुलिस के पास आने वाले दुष्कर्म के अनेक मामलों के केंद्र में लिव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़े होते हैं। कई बार यह देखा गया है कि लिव इन रिलेशन में रहने वालों के संबंधों में खटास आने के बाद महिला की ओर से दुष्कर्म की शिकायत

दर्ज करा दी जाती है। ऐसे मामलों में इंसाफ से ज्यादा बदला लेने, सबक सिखाने, बदनाम करने या फिर पैसा ऐंठने की आकांक्षा रहती है। यह स्थिति भी चिंताजनक है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड

Date: 02-05-18

विरासत का सवाल

संपादकीय

बहुत कम भारतीय ही इससे असहमत होंगे कि भारतीय ऐतिहासिक स्मारकों की यात्रा से जुड़ा अनुभव असुविधाजनक होता है। एशिया के अन्य देशों में पर्यटकों को जो बुनियादी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं वे भारत में नदारद होती हैं। लचर निगरानी होने से इन पुरानी इमारतों की दीवारें भी बदरंग रहती हैं। ऐतिहासिक इमारतों एवं पर्यटक स्थलों की सही देखभाल के लिए पर्यटन मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) के पास पर्याप्त फंड नहीं होने की समस्या साफ नजर आती है। घरेलू पर्यटकों के लिए टिकटों का मूल्य काफी कम रखने की बाध्यता ही जरूरी फंड के अभाव के लिए जिम्मेदार है। इस कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण में कॉर्पोरेट क्षेत्र को भागीदार बनाने का फैसला किया। इसने 2016 में ही कॉर्पोरेट घरानों से ऐतिहासिक इमारतों को 'गोद' लेने का न्योता दिया ताकि उनकी सही तरह से देखभाल की जा सके। दिल्ली के लोदी गार्डन स्थित स्मारकों और जंतर मंतर से लेकर महाबलीपुरम के मंदिरों और वारंगल किले की देखभाल के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियां आगे आईं।

पर्यटन मंत्रालय को अपना यह फैसला कुछ हद तक सफल होता दिखा तो उसने गत वर्ष सितंबर में 'स्मारक मित्र' योजना के दायरे में निजी क्षेत्र को लाने का भी फैसला कर लिया। इस योजना के तहत पहला अनुबंध डालमिया भारत समूह को मिला है। डालमिया अगले पांच वर्षों तक दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला को गोद लेगा। लेकिन जनमानस में लाल किले के प्रति खास लगाव को देखते हुए सरकार का यह फैसला विवादों में आ गया है। लोगों को लग रहा है कि जिस ऐतिहासिक इमारत के प्राचीर से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को संबोधित करते हैं, उस 'राष्ट्रीय' स्मारक की एक निजी कंपनी द्वारा 'ब्रांडिंग' करना खासा असुविधाजनक है। भारत के अग्रणी पर्यटक स्थल ताजमहल की देखभाल के अनुबंध के लिए भी आईटीसी और जीएमआर के बीच मुकाबला चल रहा है। देखभाल के लिए तैयार सहमति पत्र का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि इमारतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन का काम अब भी एएसआई ही करेगा जबकि संबद्ध कंपनी बुनियादी एवं उन्नत सुविधाएं प्रदान करेगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालयों के अलावा एएसआई के सदस्यों वाली एक निगरानी समिति इन स्मारकों पर मुहैया कराई जा रही सुविधाओं पर नजर रखेगी। स्मारक की कानूनी हैसियत और उसके विकास का दायित्व भी एएसआई में ही निहित रहेगा।

भले ही अनुबंध की शर्तें देखने में स्वीकार्य लगती हैं लेकिन इसमें शंका की पर्याप्त गुंजाइश है। स्मारकों की सुंदरता को बनाए रखना ऐसी ही एक आशंका है। अभी तक ऐतिहासिक स्थानों की देखरेख का जिम्मा उठा रही सार्वजनिक इकाइयों ने अपनी ब्रांडिंग से परहेज ही किया है। सवाल है कि क्या निजी कंपनियां भी ऐसा ही रवैया अपनाएंगी जबकि ब्रांडिंग उनके प्रतिस्पर्धी भाव का अहम हिस्सा है। इमारतों की देखभाल का इन कंपनियों के पास कोई अनुभव नहीं होने से

ऐसा हो पाना और भी मुश्किल हो सकता है। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लाल किले के इर्दगिर्द संबंधित कंपनी के बैनर-पोस्टर नजर आने लगें और इसका पुरातात्विक गौरव कहीं क्षीण न हो जाए। स्मारक मित्र योजना में किए जाने वाले व्यय को कंपनी के सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का हिस्सा बनाए जाने से प्रचार-प्रसार की आशंका और अधिक लग रही है। सवाल है कि क्या पर्यटन मंत्रालय पुरानी इमारतों के संरक्षण में महारत रखने वाली एजेंसियों पर भरोसा नहीं कर सकता था? काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा कि यह समझौता किस तरह अमल में लाया जाता है? एक नई अवधारणा होने से पर्यटन मंत्रालय के लिए कहीं बेहतर होता कि वह कम अहमियत वाले किसी स्मारक को गोद देकर इसका परीक्षण कर लेता।

राष्ट्रीय
सहारा

Date: 01-05-18

किसको फिक्र है कामगारों की

रवि शंकर



अपने मानवोचित अधिकारों की प्राप्ति के लिए श्रमिकों के संघर्ष की कहानी लंबी है। यह कहानी अब भी समाप्त नहीं हुई है। यों तो श्रम दिवस के नाम पर एक दिन का अवकाश और कहने को कार्यशालाएं, गोष्ठियाँ व अन्य आयोजनों की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं पर आज असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को लेकर कोई गंभीर नहीं दिखाई देता। अंतरराष्ट्रीय मई दिवस की शुरुआत 1886 में शिकागो में हुई थी तो वहीं हमारे देश में 1923 में पहली बार मई दिवस मनाया गया। दुनिया के 80 देशों में इस अवसर पर अवकाश रहता है। एक समय था जब मजदूर आंदोलन चरम पर था। पर उदारीकरण के दौर व रूस में साम्यवाद के पतन के बाद से स्थितियों में तेजी से बदलाव आया। आज मजदूर आंदोलन लगभग दम तोड़ता जा रहा है। इसके कई कारण रहे हैं। श्रमिकों नेताओं ने समय रहते अपनी सोच में तब्दीली नहीं की और इसका प्रभाव मजदूर आंदोलनों को पीछे धकेलने के रूप में सामने आया।

एक सोच यह भी विकसित हुई कि मजदूर आंदोलन तेजी से होने वाले औद्योगिक विकास में रुकावट डाल रहा है और उसके परिणामस्वरूप श्रमिक आंदोलन की धार धीरे-धीरे कुंद पड़ने लगी। मजदूरों का भी आंदोलनों से मोहभंग होने लगा, जबकि किसी भी देश की तरक्की उस देश के किसानों और कामगारों (मजदूर/कारीगर) पर निर्भर होती है। मोटे अनुमान के अनुसार देश में केवल 10 प्रतिशत श्रमिक ही संगठित क्षेत्र में हैं। 90 फीसद कामगार असंगठित क्षेत्र में हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों में भी 60 प्रतिशत कामगारों की स्थिति बेहद चिंताजनक मानी जाती है। करीब 50 फीसद श्रमिक कैजुअल वेज पर काम कर रहे हैं वहीं केवल 16 प्रतिशत मजदूरों को ही नियमित रोजगार से जुड़े हुए हैं। खेती में आधुनिकीकरण के चलते मानव श्रम की कम आवश्यकता के कारण करीब 36 फीसद लोगों ने खेती पर निर्भरता छोड़ अन्य कार्यों को अपनाया है। गृह उद्योगों का जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था वह अपेक्षाकृत नहीं हो पा रहा है। इसके चलते सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही है। हालांकि मनरेगा में निश्चित रोजगार की बात की जा रही है किंतु

इसमें भी रोजगार के क्षेत्र में विषमता है और धीरे-धीरे यह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। फिर भी देश के आर्थिक विकास में असंगठित श्रमिकों की भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता।

सरकार द्वारा समय-समय पर इनके लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की घोषणा भी की जाती है। मगर इसका पूरा लाभ असंगठित श्रमिकों को प्राप्त नहीं हो पाता है। असंगठित श्रमिकों के कौशल को विकसित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था, कच्चे माल की उपलब्धता, बीमा-स्वास्थ्य जैसी सुरक्षा और विपणन सहयोग के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के बहुत बड़े वर्ग को लाभान्वित किया जा सकता है। हालांकि सरकार द्वारा अफोर्डेबल आवास योजना व अन्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं। यदि थोड़े से प्रयासों को गति दी जाती है तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की भी रक्षा हो सकती है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवच देकर अच्छा जीवन-यापन की सुविधा दी जा सकती है। इससे देश में लघु उद्योग, सेवा क्षेत्र, हस्तशिल्प, परंपरागत रोजगार, दस्तकारी आदि को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही समाज में संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच बढ़ रही खाई को पाटने में सहायता मिल सकती है।

1919 में “अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन” का प्रथम अधिवेशन हुआ। उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी औद्योगिक संगठनों में कार्य अवधि अधिक-से-अधिक आठ घंटे निर्धारित हो। श्रम संबंधी अन्य अनेक शतरे को भी शब्दबद्ध किया गया। विश्व के अधिसंख्य देशों ने इन शतरे को स्वीकार करके अपने यहां लागू भी कर दिया। 1935 में इसी संगठन ने आठ घंटे की अवधि को घटाकर सात घंटे की अवधि का प्रस्ताव पारित किया। यह भी कहा गया कि एक सप्ताह में किसी भी मजदूर से 40 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाना चाहिए। कई समाजवादी और अन्य विकसित देशों ने इस अवधि को और घटाकर सप्ताह में 35 घंटे की अवधि को भी अपने यहां लागू किया है। लेकिन करीब एक सौ वर्षों के कठोर संघर्ष के बावजूद मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। जिन देशों में मजदूरों को कुछ सुख-सुविधाएं दी गई हैं, वे भी केवल संगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए हैं। असंगठित मजदूरों के लिए अब तक कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हो पाया है।

श्रमिक वर्ग का सर्वहारा समीकरण

हरजिंदर

बात लगभग तीन साल पहले की है। न्यूयॉर्क में अमेरिका के लेफ्ट फोरम यानी वाम मंच ने तीन दिन का एक सम्मेलन किया। इसमें दुनिया भर के कई कार्यकर्ता जमा हुए। तमाम विश्वविद्यालयों के कई नामी-गिरामी प्रोफेसर वहां आए। अपनी सोच से दुनिया की एकमात्र वास्तविक व्याख्या का दावा करने वाले ‘फ्री थिंकर’ भी वहां भारी संख्या में थे। गायक, कलाकार, रंगमंच के निर्देशक, अभिनेता, कुल मिलाकर बौद्धिक जगत की काफी अच्छी भीड़ वहां जुटी थी। इसी सम्मेलन की रिपोर्ट लिखते हुए एक पत्रकार ने चौंककर पूछा था कि सर्वहारा कहां है? पूरे सम्मेलन में वे मजदूर या औद्योगिक मजदूर कहीं नहीं थे, जिन्हें क्रांति का हरावल दस्ता मानते हुए वामपंथ ने अपना ककहरा शुरू किया था। और तो और, अमेरिका की बड़ी ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व इस समागम में हाजिरी लगाने तक नहीं पहुंचा था।

यह हैरत की बात इसलिए है कि कभी वामपंथ का अर्थ ही होता था श्रमिक आंदोलन, पर आज का श्रमिक आंदोलन इससे बहुत दूर जा चुका है। अगर हम भारत में ही देखें, तो हमारे यहां सबसे बड़ी तादाद में मजदूर जिस संगठन से जुड़े हैं, वह है भारतीय मजदूर संघ। संघ परिवार से जुड़े इस संगठन को परंपरागत परिभाषा के हिसाब से वामपंथी नहीं, दक्षिणपंथी कहा जाएगा। लेकिन मजदूरों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है कि उनकी यूनियन का राजनीतिक धर्म क्या है? उन्हें तो ऐसा संगठन चाहिए, जो वक्त-जरूरत उन्हें बोनस, वेतन-वृद्धि और छुट्टियां वगैरह दिलवा सके। श्रमिकों की इसी सोच के कारण वह फलसफा पूरी दुनिया में ही ढेर हो गया, जो तकरीबन आश्वस्त था कि मेहनतकश लोगों के संगठन दुनिया को पूरी तरह बदल देंगे।

समाजवादियों और साम्यवादियों ने अपनी इस उम्मीद के लिए प्रेरणा उस 'पेरिस कम्यून' से ली थी, जो नेपोलियन साम्राज्य के पतन के बाद बना था। क्रांतिकारी मजदूरों या उनके नेताओं की अगुवाई वाली इस व्यवस्था ने पूरे फ्रांस पर तीन महीने तक राज किया था। कार्ल मार्क्स तो इससे बांधी गई अपनी उम्मीद को उस हद तक ले गए, जहां सदियों से समाज में होता आया श्रम का महिमा मंडन श्रमिकों की संगठित ताकत या श्रमिक आंदोलन के महिमा मंडन में बदल गया। मार्क्स का कहना था कि पूंजीपतियों और मजदूरों का वर्ग-संघर्ष आखिर में चरम पर पहुंचेगा, जहां श्रमिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर कब्जा करके 'सर्वहारा की तानाशाही' स्थापित कर देंगे। यही उस क्रांति की अवधारणा थी, जिसका इंतजार कई लोगों ने आधी सदी से भी ज्यादा समय तक किया। मार्क्स समेत पूरे साम्यवादी आंदोलन पर इस जुमले का ऐसा असर हुआ कि किसी ने किसी और रास्ते के बारे में सोचा भी नहीं। यह भी कहा जाता है कि मार्क्स अगर 'सर्वहारा की तानाशाही' की बजाय 'सर्वहारा के लोकतंत्र' की बात करते, तो शायद तस्वीर कुछ और बनती।

यह भी सच है कि उस दौर में लोकतंत्र न ही एक व्यवस्था के रूप में, न ही एक उम्मीद के रूप में और न ही एक शासकीय ताने-बाने के रूप में उस तरह स्थापित था, जैसे कि आज दुनिया के बहुत से हिस्सों में है। और जहां नहीं है, वहां बहुत से लोगों के लिए अभी भी यह एक हसरत है। उस युग में लोकतंत्र अगर एक सपना था, तो मजदूरों की तानाशाही एक दूसरा सपना था। बीसवीं सदी की शुरुआत में जब लोकतंत्र अपने ढीले-ढाले स्वरूप, अपनी कछुवा चाल और आजादियों की अस्पष्ट अवधारणाओं के साथ दुनिया में फैल रहा था, तो सर्वहारा की तानाशाही वाले भी आगे बढ़े और दुनिया के कई हिस्सों पर कब्जा हासिल कर लिया। लेकिन सदी का अंत आते-आते सब कुछ बदल गया। लोकतंत्र का कछुवा तेज चौकड़ियां भरने वाले साम्यवादी खरगोश से बहुत आगे निकल चुका था।

साम्यवादी क्रांति कहीं भी उतना बड़ा बदलाव नहीं ला सकी, जितना कि लोकतंत्र की धीमी चाल ले आई थी। बात को अगर वापस श्रमिक आंदोलन पर लाएं, तो जिसे हमने पूंजीवाद कहकर दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक घोषित कर दिया था, औद्योगिक क्रांति के अगले चरण ने उसकी सोच को भी बदल दिया। उसे यह बहुत जल्द समझ में आ गया कि मजदूरों से सीमित अवधि तक काम करवा कर और उन्हें गुजारे लायक ठीक-ठाक वेतन देकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बेशक, इसके पीछे कोई हृदय परिवर्तन नहीं था, यह सब उन श्रमिक संगठनों के संघर्ष का नतीजा भी था, जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इसके लिए लगातार दबाव बना रहे थे। दोनों व्यवस्थाओं में कितना अंतर था, यह सबसे अच्छी तरह तब देखने को मिला, जब जर्मनी की दीवार टूटी। तब जाकर पूर्वी जर्मनी सर्वहारा की तानाशाही में रहने वाले मजदूरों को पता पड़ा कि पश्चिम जर्मनी के पूंजीवादी व्यवस्था में रहने वाले उनके बिरादर उनके मुकाबले कितनी बेहतर स्थिति में हैं।

ठीक यहीं पर हम न्यूयॉर्क में हुए लेफ्ट फोरम के उस सम्मेलन को फिर एक बार याद करते हैं, जहां के मजमे को देख एक पत्रकार ने पूछा था- औद्योगिक मजदूर कहां हैं? ऐसा ही एक सवाल सात साल पहले उस आंदोलन में भी उठा था, जिसे दुनिया ने 'ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट' के नाम से जाना। 99 फीसदी आबादी का मुद्दा उठाने वाले उस आंदोलन में भी मजदूर कहीं नहीं थे। वहां सड़कों और पार्कों पर मजमा जुटाए लोगों में ज्यादातर या तो बेरोजगार थे, या वे छंटनीशुदा लोग, जिनकी नौकरी आर्थिक मंदी ने छीन ली थी। तब भी कहा गया था कि अर्थव्यवस्था असली सर्वहारा मजदूर नहीं, बल्कि यही बेरोजगार हैं।

अगर हम अपने आस-पास देखें, तो हमारे यहां जो मजदूर हैं, उनकी स्थिति कहीं भी बहुत अच्छी नहीं है। इसके बावजूद वे सर्वहारा भी नहीं हैं। उनके मुकाबले वे किसान ज्यादा सर्वहारा लगते हैं, जो आत्महत्या करने को मजबूर हैं या वे बेरोजगार, जिनकी एकमात्र हसरत मजदूरी मिलना है। या और आगे बढ़कर देखें, तो हमारे यहां दलित वर्ग है, जो सदियों से सर्वहारा है। उसके पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं और जीतने को पूरी दुनिया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 'सर्वहारा की तानाशाही' की बात करने वालों को यह सर्वहारा कभी नहीं दिखता। उसे अभी भी लगता है कि बदलाव में ऐतिहासिक भूमिका तो अंत में औद्योगिक मजदूर ही निभाएगा।

Big city blues

Cities are not abstract or static entities. Master Plans must reflect local realities and aspirations

A G KRISHNA MENON

The periodic drama of sealing and demolitions of illegal constructions has become the unfortunate leitmotif of Delhi's development. It is usually portrayed as a law and order issue, not the failure of urban planning. Not surprisingly, the judiciary has emerged as the arbiter in the field, thus further marginalising the role of the urban planner. As in any complex legal argument, the casus belli, the vision and the implementation strategies as defined by the Master Plan of Delhi (MPD), are now elided by issues that have arisen subsequently as its consequence. This inversion of intent and its outcome in providing the rationale for sealing and demolitions needs to be dispassionately analysed in order to formulate redressal mechanisms, not only to resolve the present predicament but also develop more effective long-term strategies to manage urban development.

This task has been long overdue. The fact is the spatial norms, development controls and even the basic planning ideology on which the present Master Plan of Delhi (and other Indian cities) is based are modelled on urban development strategies that evolved in post-war Europe and the US under entirely different social and economic circumstances. These were eagerly adopted after Independence by the governing elite (including urban planners) because they neatly aligned with their aesthetic aspirations for Indian cities. This has proved inadequate to handle the complexities of Indian urbanisation and the nature of indigenous urbanism: Hence the drama of sealing and demolitions. But such insights have not

triggered self-reflexive reform in the profession. So tragically, the misguided strategies of MPD continue to be defended as adamantine certainties.

All over the world urban planners have responded with pragmatic creativity — not the police powers of the State — to the changed circumstances they confront in the management of their cities, but not in Delhi. For example, the development of slums, mushrooming commercial, retail and industrial activities, are all evidence of a robustly developing political economy, but instead of mediating this processes by appropriately modifying the MPD, its subsequent revisions have treated it as urban malaise to be uprooted.

As a result, the city today is not so much the product of the original vision of MPD as it the product of the contest between the haves and the have-nots. Those at the receiving end of the police actions have naturally appealed to politicians to negotiate relief or resorted to corrupt means to “regularise” their initiatives to survive under hostile circumstances. Seen in this light, both the strengthening of democratic processes and the imperatives of a soft State are implicated in the subversion of MPD. The process has been so pervasive that some analysts believe that 70 per cent of the city has been regularised. Thus, sealing and demolitions has only shifted the focus from the original source of the problem, the MPD and the lack of imaginative governance, to its victims, the migrants and entrepreneurs who have immeasurably contributed to India’s success story.

So, what is the way forward? So far the government has only tweaked the flawed MPD by “regularising” its failures because the MPD is considered a sacrosanct legal document. Meaningful reform can only begin by understanding the nature of Indian urbanism. Instead of importing solutions, it requires a fine-grained engagement with the problems of the habitat that has not been attempted so far. Given the history of urban planning and urban governance in our country, and the fact that so much water has already flowed under the bridge, the concept of Local Area Planning (LAP) offers hope. LAP seeks to find solutions for urban problems from the bottom up. Interestingly LAP is an integral part of MPD, but was never used as a tool to resolve urban problems.

About 10 years ago, it was decided to invite five institutions to try it out on an experimental basis. I was part of that exercise. LAP brings civic governance closer to the people by providing a mapped framework of the existing ground realities for taking development decisions for each of the 272 electoral wards of the city. It enables the public, elected representatives and civic authorities to transparently negotiate local issues and find solutions, including how to deal with slums and illegal development. Stakeholders are brought to the table to reach satisfying settlements. This was no mean feat in a planning system that expects society to submissively accept the dictates of MPD or be labelled illegal. Of course, it was an intelligent initiative whose time had come, but the civic authorities burdened the exercise ab initio by expecting the institutions to make recommendations that adhered to the prescriptions of MPD. Not surprisingly, the exercise was aborted. Nevertheless, while it lasted, the exercise demonstrated that there was a democratic process available to resolve seemingly intractable urban planning issues that are currently being dealt with by sealing and demolitions.

Regrettably, urban planners seem to be the last to realise that cities are neither abstract nor static entities and that a Master Plan is not written in stone. Unless they seriously engage with the people and the ground realities of Indian cities to come up with humane solutions, the profession can only hold on to the judiciary’s coat-tails to manage the city. The challenge, therefore, is to look inwards and not outwards for solutions to make Delhi a better city.



Date: 01-05-18

Local democracy in disarray

Twenty-five years after decentralised democratic governance was introduced, a look at why it has failed

M.A. Oommen is Honorary Fellow, Centre for Development Studies, Thiruvananthapuram

It's been 25 years since decentralised democratic governance was introduced in India by the 73rd and 74th Constitution Amendments, which came into force on April 24 and June 1, 1993, respectively. The structural reforms that followed heralded an inclusive, responsive, participatory democracy which was tasked to deliver economic development and social justice at the grass-roots level. These reforms did not mean de-concentration or delegation. They were not even variants of fiscal federalism, which is much-theorised by Western public finance pundits and generally endorsed by their Indian counterparts. The creation of lakhs of "self-governing" village panchayats and gram sabhas, with over three million elected representatives mandated to manage local development, was a unique democratic experiment in the contemporary world. Parts IX and IXA of the Constitution, introduced following the two Constitution Amendments, initiated a process with standardised features such as elections every five years; reservations for historically marginalised communities and women; the creation of participatory institutions; the establishment of State Finance Commissions (SFCs), a counterpart of the Finance Commission at the sub-national level; the creation of District Planning Committees (DPCs); and so on. Moving the 73rd Amendment Bill on December 1, 1992, the Minister of State in the Rural Development Ministry underscored the "duty on the Centre as well as the States to establish and nourish the village panchayats so as to make them effective-self-governing institutions."

Today, the moot question is, what impact has this reform package had on democratic practices in India? Have these reforms ensured every citizen a comparable level of basic services irrespective of one's choice of residential jurisdiction? While the economic reforms that were launched almost simultaneously with the decentralisation reforms made tremendous headway, making India the fastest-growing economy in the world today, local democracy has not much to write home about. Given the unprecedented growth of the economy over the last 25 years, its limited success in ensuring primary health care, access to drinking water supply, street lighting, education, food security, and so on is an enigma. The media and mainstream economists who get nervous when there is even a small slippage in the quarterly economic growth rate have been silent on this social failure in local democracy. Indeed, the village panchayats have not succeeded in enhancing the well-being, capabilities and freedom of citizens.

A systemic failure

What went wrong? Skipping the several success stories, which are exceptions, what happened to the third tier may be hypothesised as a systemic failure. While the economic reforms were championed by the political class and received support from the bureaucracy, there was no perceptible hand-holding and support by the States to foster decentralised governance. (The people's planning in Kerala is a conspicuous exception.) From the beginning, whether it was postponing elections or the failure to constitute SFCs and DPCs, it became evident that States can violate the various provisions of Parts IX and

IXA with impunity. These are the provisions which envisage the delivery of social justice and economic development at the local level. It appears that the judiciary has been indifferent to the two momentous amendments and their potential.

There was no institutional decentralisation except in Kerala. The roles and responsibilities of local governments remain ill-defined despite activity mapping in several States. States control funds, functions and functionaries, making autonomous governance almost impossible. Most States continue to create parallel bodies (often fiefdoms of ministers and senior bureaucrats) that make inroads into the functional domain of local governments. For example, Haryana has created a Rural Development Agency, presided over by the Chief Minister, to enter into the functional domain of panchayats. Legislative approval of these parallel bodies legitimises the process of weakening decentralised democracy. Increasing allocations to Members of Parliament Local Area Development Scheme, or MPLADS, which started in 1993, and their State-level counterparts, known as the MLALADS, hastened the process of euthanasia. There is no mandate to create a DPC tasked to draft a district development plan that takes into account spatial planning, environmental conservation, rural-urban integration, etc. In States like Gujarat, the DPC has not been constituted. A potential instrument to reduce growing regional imbalances is left to rot.

Continuity and change

Looking back, there was a clear lack of continuity, and change for the better. Following the Constitution Amendments, Article 280, establishing the Finance Commission, was amended to add 280 (3) (bb) and (c), designed to empower the third tier. Following the recommendation of the 11th Finance Commission, there were reforms in budget and accounting, and efforts towards streamlining the financial reporting system at the local level. Even so, there is no credible fiscal data base and budget system among local governments now. That accountability arrangements remain very weak even after 25 years shows a lack of will. The 13th Finance Commission made significant steps to carry forward decentralised governance by linking the grants to local governments to the divisible pool via Article 275 besides taking various measures to incentivise the process of decentralisation. The 14th Finance Commission enhanced the grant substantially but did not take the change forward. The Terms of Reference of the 15th Finance Commission, which sought to abolish Article 275 and ignore an integrated public finance regime, do not seem to opt for continuity.

Despite the reservation of seats for Adivasis, Dalits and women, these categories remain on the periphery, often as victims of atrocities and caste oppression rather than as active agents of social change. This means that involving women's agencies and the marginalised to lead social transformation at the grass-roots level remains an uphill task.

Even after 25 years, local government expenditure as a percentage of total public sector expenditure comprising Union, State and local governments is only around 7% as compared to 24% in Europe, 27% in North America and 55% in Denmark. The own source revenue of local governments as a share of total public sector own source revenue is only a little over 2% and if disaggregated, the Panchayat share is a negligible 0.3% (several States like Rajasthan, Punjab and Haryana have abolished property taxes and others do not collect taxes). This speaks of the fiscal weakness of village panchayats.

Local democracy in India is in deep disarray. Will the Prime Minister take time to look into this pathology and take remedial action in the interest of democracy, social inclusion and cooperative federalism?
